

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 12, गुरुवार, शाके 1948- अप्रेल 02, 2026 Chaitra 12, Thursday, Saka 1948- April 02, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 18, 2026

संख्या एफ.27(क)(31)गृह-2/2024 :-राज्य सरकार इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023 का अधिनियम संख्या 46) की धारा 2 सपठित राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 14) की धारा 6, 7, 8, 11, 16 व 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस जिला बाडमेर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस वृत्त, पुलिस थाना व पुलिस चौकियों का क्षेत्राधिकार एवं पुलिस बल पर नियन्त्रण व निर्देशन निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	उप अधीक्षक	नाम पुलिस थाना	पुलिस चौकी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बाडमेर	बाडमेर	1 कोतवाली	1 कस्बा चौकी 2 अस्पताल चौकी
		2 बाडमेर सदर	1 चवा 2 सनावडा 3. खेत सिंह की प्याऊ
		3 बाडमेर ग्रामीण	1 विशाला 2 भाडखा
		4 रिको क्षेत्र	-
	चौहटन	1 चौहटन	1 बावडी 2 लीलसर
		2 बीजराड	1 मीठराऊ
		3 सेडवा	1 ओगाला 2 हरपालिया
		4 बाखासर	1 सारला 2 तडला
		5 धनाउ	1 बामणोर 2 बुरान का तला 3 ईटादा
	रामसर	1 रामसर	1 सियाणी 2. गागरिया
		2 गडरारोड	1 मुनाबाव 2 सुन्दरा
		3 गिराब	1 बंधडा 2 हरसाणी
		4 शिव	1 गुंगा 2 भियाड
	बायतु	1. बायतु	-
		2. नागाणा	बाटाडु

1. जिला बाडमेर में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (SIUCAW)- उप पुलिस अधीक्षक एससी एसटी सैल एवं महिला थाने का सीधे रूप से पर्यवेक्षण करेगे।
2. जिला बाडमेर में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, त्वरित अनुसंधान दल (QIDT)- साईबर पुलिस थाने का पर्यवेक्षण करेगें।
3. उप पुलिस अधीक्षक यातायात जिला बाडमेर का पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाडमेर द्वारा किया जायेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

बच्चू सिंह मीना,
सहायक शासन सचिव, गृह।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।